

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 634/2025**

IN THE MATTER OF:

DR. AMIT KUMAR

...APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE TO THE ORIGINAL APPLICATION BY RESPONDENT NO. 3, DIVISIONAL FOREST OFFICER, SHAMLI	
2.	A COPY OF THE LETTER DATED 15.11.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF THE NEWSPAPER CLIPPING IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	A COPY OF THE INSPECTION REPORT DATED 12.11.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF THE PHOTOGRAPHS OF THE TREES TAKEN DURING THE INSPECTION ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-4	

6.	A COPY OF THE LETTER DATED 31.12.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-5	
7.	A COPY OF THE NOC DATED 31.01.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-6	
8.	A COPY OF THE ISFR REPORTS ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-7	

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR RESPONDENT NO. 3
bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

DATE: 10.02.2026

PLACE: NOIDA

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 634/2025**

IN THE MATTER OF:

DR. AMIT KUMAR

...APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENT(s)

RESPONSE TO THE ORIGINAL APPLICATION BY RESPONDENT NO. 3,**DIVISIONAL FOREST OFFICER, SHAMLI**

I, Jagdev Singh, aged about 59 years, S/o Shri Late Badri Prasad, Posted as
Divisional Forest Officer, Shamli, State of U.P., do hereby most solemnly state

and affirm as under:

That I, Jagdev Singh, am fully conversant with the facts of the case and am
competent and authorized to swear the present Affidavit.

GRIEVANCE RAISED IN THE MATTER:

2. That in the present Original Application, the Applicant has raised the
grievance against illegal felling of thousands of fully grown and protected


 प्रभागीय वनाधिकारी
 शामली वन प्रभाग
 शामली

trees in District Shamli, UP in the installation of 33 kV feeder line for supplying electricity to 33/11 kV substation executed by the Respondents No. 5 and 6.

3. That the Applicant has further alleges that the project is being carried out without obtaining the requisite no objection/clearance as required under the Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976 and there is violation of the provisions of Environment Protection Act, 1986.
4. That this Hon'ble Tribunal vide order dated 12.12.2025 issued notice to the respondents and granted time to file their replies. Furthermore, the Hon'ble Tribunal directed the respondents to ensure that no illegal felling of trees takes place in the execution of the project. The relevant paragraph of the aforementioned order is stated below:

“...3. Issue notice to the Respondents.

4. Shri Bhanwar Pal Singh Jadon, Advocate accept notice on behalf of the Respondents No. 1 to 4 and seeks four weeks' time to file the reply. The Applicant is directed to supply a copy of the OA along with enclosures to the counsel for the Respondent No. 1 to 4 within three days. The Applicant is also directed to serve the remaining Respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.

5. Till the next date of hearing the Respondents are directed to ensure that no illegal felling of trees takes place in the execution of the project...”

ACTIONS TAKEN BY THE FOREST DEPARTMENT IN COMPLIANCE OF THE DIRECTIONS ISSUED BY THE HON'BLE TRIBUNAL

5. That the land in question has been examined thoroughly on the basis of official forest records, notifications, forest maps, notification registers, and other departmental records, and it is clearly established that the said land is neither notified as Reserved Forest under Section 20 of the Indian Forest Act, 1927, nor notified as Protected Forest under Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, nor recorded as forest land in government records.
6. That the trees standing at the site in question are part of roadside strip plantation carried out by the Forest Department along Public Works Department (PWD) road land for environmental protection, ecological balance, and green cover enhancement.
7. That upon receiving information regarding installation of electricity poles without prior permission, the Forest Department immediately took cognizance and stopped the work as a precautionary measure, and issued a

communication dated 15.11.2025 to the Electricity Department directing them not to proceed without obtaining prior No Objection Certificate (NOC) from the Forest Department.

A copy of the letter dated 15.11.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1.**

8. That the prompt action taken by the Forest Department is also supported by contemporaneous records and newspaper reports, which confirm that the work was stopped by the Forest Department in exercise of its statutory authority and environmental responsibility.

A copy of the newspaper clipping is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2.**

9. That furthermore, as a precautionary measure and in discharge of the statutory duty, a field inspection dated 12.11.2025 was conducted by the concerned Section Officer of the trees planted at the roadside strip in question.

A copy of the inspection report dated 12.11.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3.**

10. **That during the said field inspection, it was observed that:**

- i. No tree had been felled
- ii. No tree had been damaged.
- iii. No illegal cutting or environmental damage had occurred.

A copy of the photographs of the trees taken during the inspection are annexed herewith and marked as **ANNEXURE-4**.

11. That it is submitted before the Hon'ble Tribunal that the Electricity Department vide letter dated 31.12.2025 applied for permission / NOC from the forest department. **Through the aforementioned permission letter, the electricity department sought permission/ NOC for felling/ trimming of branches of trees coming in contact with the line.** The said application has been examined strictly by the forest department in accordance with the provisions of:

- i. Indian Forest Act, 1927
- ii. Forest (Conservation) Act, 1980
- iii. Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976
- iv. Environment (Protection) Act, 1986
- v. Biological Diversity Act 2002
- vi. Applicable government orders and environmental safeguards

A copy of the letter dated 31.12.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-5**.

12. That the relevant portion of the aforementioned letter for permission sent by the Electricity Department is as stated below:

“कृपया उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि मैसर्स आदिदेवा कार्बन एलएलपी द्वारा सभी आवश्यक शर्तों व नियमों को पुरा करते हुए 33 के०वी०ए० लाईन बिछाई जा रही है यह लाईन 132 के०वी०ए० पारेषण उपकेन्द्र झिंझाना (सिकन्दरपुर) से मैसर्स आदिदेवा कार्बन एलएलपी सकौती तक बिछाई जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त लाईन के सम्पर्क में आने वाले वृक्षों के टहनीयों के पातन व छाटाई से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र मैसर्स आदिदेवा कार्बन एलएलपी को निर्गत करने की अनुमति प्रदान करे जिससे 132 के०वी० झिंझाना सिकन्दरपुर से सकौती तक 33 के०वी० लाईन फर्म द्वारा बिछाने का कार्य किया जा सके।”

13. That subsequent to thorough examination, the forest department has granted the NOC dated 31.01.2026 to the electricity department. The permission so granted is subject to strict adherence to the conditions imposed by the forest department. The conditions are as follows:

- i. No tree shall be felled without prior permission of competent authority.
- ii. No damage shall be caused to any tree.
- iii. No harm shall be caused to bird nests or wildlife habitat.
- iv. Only minor trimming, if unavoidable, shall be done carefully.
- v. Branches exceeding 30 cm girth shall not be cut.
- vi. All environmental safeguards shall be strictly followed.
- vii. Any violation shall invite legal action and cancellation of permission**

A copy of the NOC dated 31.01.2026 is annexed herewith and marked as

ANNEXURE-6.

14. **That it is germane to note that no permission has been granted for felling of any trees, and no tree has been felled.**

15. That with regards to the alleged decline in tree and forest cover it is pertinent to mention here that as per ISFR 2023 issued by Forest Survey of India that the forest cover in Shamli Forest Division has increased from 1.54 percent to 1.94 percent, indicating a growth of 0.40 percent of forest cover in the geographical area of district Shamli.

A copy of the ISFR reports are annexed herewith and marked as **ANNEXURE-7.**

16. That the said official data clearly establishes that forest cover in Shamli district has not declined but has marginally increased, which reflects the continuous efforts of the Forest Department towards environmental protection and tree cover enhancement.

17. That the Forest Department has acted strictly in accordance with law and has fulfilled its statutory and constitutional duties. Furthermore, the Department has taken timely, responsible, and lawful action to ensure protection of trees and environment, and the allegations of negligence, collusion, or facilitation of illegal activity are false, baseless, and denied.

17. That it is reiterated that no tree has been felled, no illegal activity has occurred, and no unlawful permission has been granted by the Forest Department.


NOTARY

18. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

NOTARY

19. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY



DEPONENT

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

VERIFICATION

Verified at Shamli on this 10 day of February, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 19 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY

NOTARY

NOTARY

DEPONENT

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली

L.T.I./Signature of Deponent




Signature of Deponent

प्रभागीय वनाधिकारी

मे घोषणा करता हूँ कि, शपथ कर्ता को शामली वन प्रभाग
प्राप्त है उसने इस शपथ पत्र को शामली
अंर व नोटरी के सामने अपने
हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किया है।

ATTESTED

Mukesh Kumar Garg
NOTARY, SHAMLI
Distt.- SHAMLI





कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन रेंज, शामली वन प्रभाग

पत्रांक :- 187/33-3

दिनांक - 15-11-2025



सेवा में,

उपखंड अधिकारी द्वितीय
शामली।

विषय : आदिदेवा कार्बन एल एल पी स्थित बिडोली-चौसाना मार्ग, ग्राम सकोती, तहसील ऊन, जनपद शामली प्रोजेक्ट हेतु बिजली के खंभे लगाने के संबंध में।

महोदय

सविनय अवगत कराना है कि झिंझाना-ऊन मार्ग, थानाभवन-ऊन मार्ग, खोड़समा, टोडा तथा ऊन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में सड़क के दोनों ओर विद्युत पोल स्थापित किए जा रहे हैं। उक्त कार्यों के दौरान यह पाया गया है कि कुछ मार्गों पर वन विभाग द्वारा किया गया पूर्व वृक्षारोपण विद्यमान है, तथा ऐसी स्थिति में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण (NOC) प्राप्त किया जाना अनिवार्य होता है। चूंकि संबंधित विद्युत विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा अब तक प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग से कोई अनापत्ति प्रमाण प्राप्त नहीं किया गया है, अतः वन कर्मियों द्वारा नियमानुसार कार्य को अनापत्ति प्राप्त होने तक स्थगित कराया गया है।

अतएव आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्यों के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग से विधिवत अनापत्ति प्रमाण प्राप्त कर लेने के उपरान्त ही विद्युत पोल स्थापना संबंधी कार्य पुनः प्रारंभ करें, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की विभागीय अथवा विधिक जटिलता उत्पन्न न हो।

संलग्नक -उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि :- प्रजागीय वनाधिकारी शामली महोदय
को सूचनात्मक प्रेषित

Jera
RFO, Unn

भवदीय
Jera
क्षेत्राधिकारी वन
ऊन, शामली

दैनिक जागरण



संख्या
2025

www.jagran.com

पटना, दिल्ली, कानपुर, रायपुर, जयपुर, बिलासपुर, बंगलूर, जम्मू, शिमला, देहरादून, मुंबई, कोलकाता, चण्डीगढ़, रायपुर, जयपुर, बिलासपुर, बंगलूर, जम्मू, शिमला, देहरादून, मुंबई, कोलकाता

पेज में टी टॉप कवरेज ता रही इच्छा 11

गरी में विटिज विरट नो 12

बहाड़ी माजरा से सकौती तक थमी 33/11 केवी लाइन निजी कंपनी के लिए लगाए जा रहे बिजलीघर को जोड़ने की थी तैयारी, वन विभाग की सख्ती से रुका काम

उदयवीर सिंह • जागरण

चीसना : निजी कंपनी के लिए प्रस्तावित बिजलीघर को जोड़ने के लिए बहाड़ी माजरा से सकौती तक 33/11 केवी की बिछाई जा रही लाइन पर ब्रेक लग गया है। सड़कों के किनारे लगाए जा रहे खंभों को लेकर की गई शिकायत के बाद वन विभाग ने हस्तक्षेप करते हुए कार्य रुकवा दिया है। समय रहते हुई इस कार्रवाई से सकौती से लेकर खोड़समा, बल्लामारा, टोडा, भोगीमाजरा, हरसाना, ऊन और डिंडाली तक हजारों पेड़ प्रभावित होने से बच गए हैं।

33/11 केवी लाइन बहाड़ी माजरा स्थित 132 केवी बिजलीघर से निकलकर सकौती क्षेत्र में एक निजी कंपनी के लिए लगाए जा रहे नए बिजलीघर तक जानी थी। लाइन सड़कों के किनारे और कुछ स्थानों पर कृषि भूमि के पास से गुजर रही थी। जैसे ही खंभे लगाने शुरू हुए ग्रामीणों और लोगों ने पेड़ों के कटान की आशंका जताई और मामला आइजीआरएस पोर्टल तक पहुंच



खोड़समा में लगाए खंभे • जागरण

गया। शिकायत के बाद मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी क्षेत्र मेरठ के निर्देश पर जांच कराई गई। प्रकरण की जांच वन संरक्षक सहारनपुर वृत्त और प्रभागीय वनाधिकारी शामिल वन प्रभाग द्वारा की गई। अधिकारियों ने पूरे रूट का स्थलीय निरीक्षण कराया, जिसमें सकौती से बहाड़ी माजरा बिजलीघर तक प्रस्तावित लाइन के सभी प्रमुख हिस्से शामिल रहे। जांच में सामने आया कि संबंधित क्षेत्र न तो आरक्षित वन है और न ही संरक्षित। राजस्व अभिलेखों में भी इसे



टोडा में पेड़ों के बीच में लगे खंभे • जागरण

वन भूमि के रूप में दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए यह वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दायरे में नहीं आता। हालांकि जांच आख्या में यह भी स्पष्ट किया गया कि कई स्थानों पर सड़क पटरियों के किनारे वन विभाग द्वारा पूर्व में कराया गया वृक्षारोपण है। इसी बिंदु पर वन विभाग ने सख्ती दिखाई। जहां-जहां पेड़ खड़े हैं, वहां 33/11 केवी लाइन का कार्य तत्काल रुकवा दिया गया। ऊर्जा निगम को निर्देश दिए गए कि वन विभाग से प्राप्त एनओसी केवल



टौंढाली में सड़क किनारे लगे खंभे • जागरण

रोक न लगती तो कट जाते हरे-भरे पेड़

यदि समय रहते वन विभाग ने दखल न दिया होता तो सड़कों के किनारे खड़े हरे-भरे पेड़ कटान की भेंट चढ़ जाते। एक तरफ सरकार पीधरोपण और हरियाली बढ़ाने की बात कर रही है, वहीं कुछ लोग निजी कार्यों के लिए नियमों को टेगा दिखाने से नहीं चूकते। इस मामले में वन विभाग की सख्ती ने यह साफ कर दिया कि विकास के साथ हरियाली की रक्षा भी जरूरी है।

खाली स्थानों पर खंभे लगाने के लिए वृक्षों के पास या उनके बीच खंभे लगाने की अनुमति नहीं है। वन विभाग के दायरे योगेंद्र सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा लगाए जा रहे खंभों



बहाड़ी माजरा में लगाए गए खंभे • जागरण

को रुकवा दिया गया है। कहा कि जहां पेड़ खड़े हैं, वहां खंभे नहीं लगाए जा सकते। नियमों के उल्लंघन की स्थिति बनते ही मौके पर ही कार्य बंद करा दिया गया।

जांच रिपोर्ट

विषय : Adideva Carbon LLP स्थित बिडौली-चौसाना मार्ग, ग्राम सकौती, तहसील ऊन, जनपद शामली के प्रोजेक्ट हेतु बिडौली-चौसाना मार्ग, झिंझाना-ऊन मार्ग एवं ऊन-चौसाना मार्ग पर बिछाई जा रही विद्युत लाइन के संबंध में जांच आख्या।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि Adideva Carbon LLP स्थित बिडौली-चौसाना मार्ग, ग्राम सकौती, तहसील ऊन, जनपद शामली के प्रोजेक्ट हेतु बिडौली-चौसाना मार्ग, झिंझाना-ऊन मार्ग एवं ऊन-चौसाना मार्ग पर बिछाई जा रही विद्युत लाइन के संबंध में आज दिनांक 12.11.2025 को स्थलीय निरीक्षण/जांच की गई।

जांच आख्या निम्नानुसार है -

1. उपरोक्त मार्गों पर कुछ सीमित स्थानों पर केवल विद्युत पोल (खंभे) स्थापित पाए गए।
2. किसी भी स्थान पर अभी तक विद्युत तार (लाइन) नहीं डाली गई है।
3. विद्युत पोल स्थापित किए जाने के दौरान किसी भी वृक्ष का पातन अथवा क्षति पाया जाना दृष्टिगोचर नहीं हुआ।

अतः उपरोक्तानुसार जांच आख्या सादर प्रस्तुत है।

Sandeep Kumar
12/11/25
वीट अधिकारी
ऊन (शामली)

12/11/25
जांच अधिकारी
ऊन (शामली)

12/11/25
संरक्षण अधिकारी
झिंझाना (शामली)
Robi + Kumar
(forestry)





G6XJ+GX7, Uttar Pradesh 247773, India 🇮🇳

Latitude
29.55080206°

Longitude
77.23392899°

Local 12:12:30 PM

Altitude 242 meters

GPS Map
Camera Lite



 **GPS Map**
Camera Lite

H62M+QVP, Shamli, Uttar Pradesh 247778, India 

Latitude
29.55080027°

Longitude
77.23393159°

Local 12:12:38 PM

Altitude 243 meters



H62M+QVP, Shamli, Uttar Pradesh 247778, India 

Latitude
29.55242751°

Longitude
77.23486487°

Local 12:20:05 PM

Altitude 244 meters

 GPS Map
Camera Lite



 **GPS Map**
Camera Lite

H62M+QVP, Shamli, Uttar Pradesh 247778, India 

Latitude
29.55243901°

Longitude
77.23487294°

Local 12:21:08 PM

Altitude 245 meters

मो.नं० : 9193331050

ई-मेल : xenkairana.shamli@pvvnl.org



ANEXXURE-5

कार्यालय

अधिशाली अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड-कैराना

(पूर्ववर्ती नाम विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ,शामली)

शामली (247776)

ईमेल/डाक द्वारा

दिनांक : 31/12/2025

पत्रांक: 75/4 /वि०वि०ख०कै०/शामली

विषय :- 132 के०वी०ए० पारेषण उपकेन्द्र झिंझाना से मैसर्स आदिदेवा कार्बन एलएलपी सकौती तक बिछाई जा रही विद्युत लाइन के सम्पर्क में आने वाले वृक्षों के टहनीयों की छटाई से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वन अधिकारी

जनपद-शामली।

कृपया उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि मैसर्स आदिदेवा कार्बन एलएलपी द्वारा सभी आवश्यक शर्तों व नियमों को पुरा करते हुए 33 के०वी०ए० लाइन बिछाई जा रही है यह लाइन 132 के०वी०ए० पारेषण उपकेन्द्र झिंझाना(सिकन्दरपुर) से मैसर्स आदिदेवा कार्बन एलएलपी सकौती तक बिछाई जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त लाइन के सम्पर्क में आने वाले वृक्षों के टहनीयों के पातन व छटाई से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र मैसर्स आदिदेवा कार्बन एलएलपी को निर्गत करने की अनुमति प्रदान करे जिससे 132 के०वी० झिंझाना सिकन्दरपुर से सकौती तक 33 के०वी० लाइन फर्म द्वारा बिछाने का कार्य किया जा सके।

(जय प्रकाश)

अधिशाली अभियन्ता

पत्रांक- /वि०वि०ख० कै०/शामली तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल शामली

R.C.
DFO
24/12/25
07/01/25

31/12/25
क्र.सं. - 348 दि. 07/01/26

R.O.
जन
जापें कर शाखा
जयप्रकाश
शामली
07/01/26

(जय प्रकाश)

अधिशाली अभियन्ता



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली।

कार्यालय पता- शामली-पानीपत मार्ग, निकट नहर पुलखेडी, शामली ई-मेल आई डी. dfoshamli2012@gmail.com

पत्रांक — /22-1, दिनांक, शामली, 31.01.2026

सेवा में,

अधिशासी अभियंता

विद्युत वितरण खण्ड-कैराना

(पूर्ववर्ती नाम विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ, शामली।

विषय-

132कै0वी0 पारेषण उपकेंद्र झिझाना से मैसर्स आदिदेवा कार्बल एलएलपी सकौती तक बिछाई जा रही विद्युत लाइन के सम्पर्क में आने वाले वृक्षों के टहनियों की छटाई से संबंधित अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने के संबंध में।

संदर्भ-

आपका पत्रांक 7514/वि0वि0ख0कै0/शामली, दिनांक 31.12.2025 एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी ऊन का कार्यालय पत्रांक 306/22-1, दिनांक 24.01.2026

आपके उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में जांच इस वन प्रभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी ऊन से करायी गयी।

क्षेत्रीय वन अधिकारी ऊन द्वारा अपने संदर्भित पत्र द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया है।

क्रमांक	मार्ग का नाम	प्रजाति	बायी पटरी	दायी पटरी	योग
	ऊन-चौसाना मार्ग	अर्जुन	91	13	104
		सिरस	06	37	43
		कंजी	27	70	97
		शीशम	0	37	37
		जामुन	11	02	13
		नीम	04	0	04
		पीपल	01	02	03
		केसिया सेमिया	01	0	01
		प्रासोपिस	09	0	09
		बरगद	01	0	01
		यूकेलिप्टस	0	03	03
		आम	0	02	02
		ढाक	0	01	01
		बेल	0	01	01
		बेर	0	01	01
		योग-	151	169	320
	झिझाना-उन मार्ग	अर्जुन	06	77	83
		सिरस	01	0	01
		कंजी	0	43	43
		शीशम	0	13	13
		जामुन	0	16	16
		नीम	0	04	04
		पापुलर	0	01	01
		पीपल	0	02	02
		सेमल	0	51	51
		पिलखन	0	02	02
		योग-	07	209	216
	बिडौली-चौसाना मार्ग	प्रोसोपिस	0	14	14
		नीम	0	04	04
		अर्जुन	0	10	10

	शीशम	01	11	12
	कंजी	0	16	16
	यूकेलिप्टस	0	06	06
	सिरस	0	02	02
	केसिया सेमिया	0	01	01
	बेल	0	01	01
	जामुन	01	01	02
	पीपल	0	01	01
	योग-	02	67	69

अतः क्षेत्रीय वन अधिकारी, ऊन के आधार पर उपरोक्त वृक्षों की टहनियों की कटाई-छटाई अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1- किसी भी वृक्षों का अवैध पातन न किया जाये और यदि किसी प्रकार का अवैध पातन किया जाता है तो नियमानुसार विधिक कार्यवाही अम्ल में लायी जायेगी।
- 2- यदि किसी वृक्ष में किसी पक्षी का आवास/घोंसला अवस्थित हो तो उसे क्षति न पहुंचायी जाये।
- 3- वृक्षों की टहनियों से निकला प्रकाष्ठ आपके विभाग द्वारा एकत्रित कर रेंज कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा।
- 4- वृक्षों की टहनियों का पातन इस प्रकार से किया जाये कि वे किसी दूसरे वृक्ष को हानि न पहुंचा सके।
- 5- वृक्षों की ऐसी टहनियों का पातन निषेध है, जिससे पूरे वृक्ष की सूखने की स्थिति उत्पन्न हो।
- 6- उपरोक्त वृक्षों का टहनियों का पातन सर्तकता के साथ लाल झंडी लगाकर किया जाये जिससे किसी को क्षति न पहुंचे तथा आवागमन अवरुद्ध न हो।
- 7- 30 सेंटीमीटर से गोलाई से अधिक वृक्षों की टहनियों का पातन नहीं किया जायेगा।
उक्त अनुमति संबंधित नियमों/शासनादेशों को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा तथा उक्त अनुमति किसी भी विरोधाभास के होते हुए स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(जे०डी० सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली।

पत्रांक 2603 / 22-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी ऊन को उपरोक्तानुसार एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(जे०डी० सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली।

INDIA STATE OF FOREST REPORT 2023

VOLUME II



FOREST SURVEY OF INDIA
Ministry of Environment, Forest & Climate Change



Table 10.27.3 District-wise Forest Cover in Uttar Pradesh

District	Calculated Area by Sol	2023 Assessment				% of Calculated Area by Sol	Change w.r.t. 2021 Raster based*	Scrub
		Very Dense Forest	Mod. Dense Forest	Open Forest	Total			
Gautam Buddha Nagar	1,441.86	0.00	4.45	18.32	22.77	1.58	-0.05	0.00
Ghaziabad	891.61	0.00	7.90	13.12	21.02	2.36	0.03	0.00
Ghazipur	3,377.00	0.00	0.58	23.77	24.35	0.72	-3.86	0.00
Gonda	4,003.00	64.93	9.03	52.97	126.93	3.17	1.29	0.46
Gorakhpur	3,321.00	27.98	21.60	24.91	74.49	2.24	-2.41	0.00
Hamirpur	4,021.00	0.00	77.21	145.97	223.18	5.55	1.66	14.15
Hapur	1,106.67	0.00	6.72	21.09	27.81	2.51	5.72	1.17
Hardoi	5,985.66	0.00	15.62	129.58	145.20	2.43	-1.18	9.36
Hathras/ Mahamaya Nagar	1,840.49	0.00	0.58	21.51	22.09	1.20	-4.15	0.20
Jalaun	4,565.00	0.00	60.66	195.83	256.49	5.62	6.41	53.03
Jaunpur	4,038.00	0.00	10.06	53.94	64.00	1.58	-6.75	0.31
Jhansi	5,024.00	0.00	57.11	284.21	341.32	6.79	34.79	66.79
Kannauj	2,092.87	0.00	0.00	25.61	25.61	1.22	-2.73	0.25
Kanpur Dehat	3,021.00	0.00	3.05	44.01	47.06	1.56	-24.70	16.18
Kanpur Nagar	3,155.00	0.00	8.53	61.59	70.12	2.22	25.29	3.39
Kasganj/ Kanshiram Nagar	1,955.28	0.00	5.37	36.60	41.97	2.15	-10.11	0.11
Kaushambi	1,779.00	0.00	4.35	29.15	33.50	1.88	1.15	0.00
Kheri	7,680.44	805.14	157.70	271.29	1,234.13	16.07	-27.66	8.22
Kushinagar	2,905.00	0.07	2.97	32.13	35.17	1.21	-0.93	0.00
Lalitpur	5,039.00	0.00	127.26	449.79	577.05	11.45	0.00	33.24
Lucknow	2,528.00	0.00	161.18	240.08	401.26	15.87	2.62	8.09
Mahoba	3,144.00	0.00	21.22	151.03	172.25	5.48	2.84	60.55
Mahrajganj	2,952.00	262.28	92.72	71.17	426.17	14.44	-0.66	0.32
Mainpuri	2,760.04	0.00	0.19	17.23	17.42	0.63	1.47	0.00
Mathura	3,339.64	0.00	3.90	49.44	53.34	1.60	-2.15	3.11
Mau	1,713.00	0.00	0.23	11.14	11.37	0.66	0.00	0.00
Meerut	2,500.86	0.00	34.59	56.74	91.33	3.65	5.22	0.00
Mirzapur	4,405.00	8.38	278.51	450.02	736.91	16.73	-2.00	46.59
Moradabad	2,009.40	0.00	3.50	14.23	17.73	0.88	0.82	0.12
Muzaffarnagar	2,750.86	0.00	8.43	45.63	54.06	1.97	5.16	2.71
Pilibhit	3,498.90	486.20	81.75	105.89	673.84	19.26	-21.61	9.92
Pratapgarh	3,717.00	0.00	26.94	97.29	124.23	3.34	0.56	1.63
Prayagraj/ Allahabad	5,482.00	6.28	25.01	134.94	166.23	3.03	4.94	26.67
Raebareli	3,289.00	0.00	2.72	87.10	89.82	2.73	3.80	3.65
Rampur	2,366.58	3.89	24.61	40.49	68.99	2.92	-3.83	0.00
Saharanpur	3,688.96	0.00	182.13	342.87	525.00	14.23	9.07	0.81
Sambhal	2,497.95	0.00	0.74	11.73	12.47	0.50	2.79	0.00
Sant Kabir Nagar	1,646.00	0.00	1.16	12.97	14.13	0.86	0.00	1.17
Shahjahanpur	4,575.24	26.15	5.47	28.77	60.39	1.32	2.25	0.79
Shamli	1,257.46	0.00	3.96	20.43	24.39	1.94	1.54	1.21
Shravasti	1,640.00	197.72	99.29	46.56	343.57	20.95	2.29	0.27